संख्या- 13/2016/107बी.बी./35-1-2016

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

कृषि विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2016**

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्यक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या- 44बीपी/35-1-2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष कृषि विभाग से सम्बन्धित चेकडैमों का निर्माण परियोजना की रू. 44.10 करोड़ पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 7.28 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गई। वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 199 बीपी/35-1-2014 दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू. 7.28 करोड़ तथा शासनादेश संख्या 4/2014/318 बीपी/ 35-1-2014 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 रू. 14.77 करोड अर्थात वर्ष 2014-15 में कुल मिलाकर रू. 22.05 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 22.00 करोड की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में परियोजना की अनुमोदित लागत रू. 44.10 करोड के सापेक्ष पूर्व वर्षो में व्यय की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त सहायता की सीमा के अंतर्गत रहते हुए एतदद्वारा रू. 1818.60 लाख (अठारह करोड़ अठारह लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(करोड रू. में)

	परियोजना	**अनुमोदित लागत**	**व्यय धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
	चेक डैमों का निर्माण	44.10	22.00	18.186

1. शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. इस शासनादेश से उक्त कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष कार्यों हेतु धनराशि का अवमुक्त की गयी है। कार्यों को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
3. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जून, 2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-83-चेकडैमों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा। उक्त लेखाशीर्ष में प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या 40 के लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड विशेष योजनायें-00-42-अन्य व्यय में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा। आदेश यूओ संख्या: 04बीके/35-1-2016, दिनांक 02 जून 2016 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालयज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

जे.बी.सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-13/2016/107 बीपी(1)/35-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3 प्रमुख सचिव, कृषि विभाग।
4 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5 निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
6 मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7 जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8 मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/ बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9 कोषाधिकारी, झांसी /ललितपुर/ जालौन/हमीरपुर/ बांदा/महोबा/चित्रकूट।
10 गार्ड फाईल ।
11 वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
12 जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से,

जे.बी.सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in